

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2009/भाद्र 23, 1931

No. 528]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2009/BHADRA 23, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 670(अ).— केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मारत का प्रतिरपर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्यां) नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारींख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **परिभाषाएं** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "सचिव" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है :
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु, अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3349 GI/2009

- 3. आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भते और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या— आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्यां और उनकी भर्ती की पद्धित अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी।
- 4. सेवा की शर्तें (1) छुट्टी, कार्यग्रहण अवधि, पदग्रहण अवधि वेतन, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में, आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो तत्स्थानी प्रवर्ग और वेतनमान से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।
- (2) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तब तक साधारण पूल आवास सुविधा के लिए पात्र होंगे, जब तक आयोग के लिए पृथक कार्यालय और आवासीय काम्पलेक्स का निर्माण नहीं हो जाता है।
- (3) आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिन्हे साधारण पूल आवास के अंर्तगत सरकारी निवास स्थान की सुविधा रखने के लिए पात्र होंगे।
- (4) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिन्हें निवास स्थान आबंटित नहीं है वे मकान किराया भत्ता के पात्र होंगे जो कि वही वेतनमान प्राप्त कर रहे हों केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को अनुझेय है।
- (5) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिन्में वे भी सम्मिलित हैं जो आयोग में सेवा के दौरान प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार होंगे जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (6)(i) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जो उन्हें उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू है, द्वारा शासित होते रहेंगे।
- (ii) आयोग, ऐसे सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों से भविष्य निधि हेतु अभिदाय वसूल करेगा और शीघ्र ही इसे उद्यारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को रकम प्रेषित करेगा।
 - (iii) आयोग द्वारा विलंब से प्रेषण के मद्दे ब्याज की किसी हानि को वहन किया जाएगा ।
- (7) उन व्यक्तियों से भिन्न जो प्रतिनियुक्ति पर हैं आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा विनिर्मित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा स्कीमों द्वारा शासित होंगे:

परंतु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त आयोग के सिवव, अधिकारी और कर्मचारियों के मामले में वे समूह बीमा स्कीमों द्वारा शासित होते रहेंगे जो उन्हें उसे मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू हैं।

- 8(i) आयोग ऐसे सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों से बीमा स्कीमों हेतु अभिदाय वसूल करेगा और शीघ्र ही उसे उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को भेजेगा ।
- (ii) अयोग द्वारा विलंब से प्रेषण के मद्दे ब्याज की किसी हानि को वहन किया जाएगा ।
- (9) आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, नयी पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।
- (10) अयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में जो उनको उपलब्ध हैं, यदि कोई है, पेंशन और सेवा निवृत्ति फायदे के पात्र होंगे।
- 5. शासकीय विदेशी दौरे—आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के शासकीय विदेशी दौरे आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे।
- (2) समय-समय पर यथा संशोधित विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे ।
- 6. प्रतिनियुक्ति भत्ता— प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयनित व्यक्तियों को वेतनमान और उधार लेने वाले संगठन के अन्य सेवा फायदों का विकल्प करने या स्वयं के वेतनमान प्रतिधारित करने और इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के बिद्यमान अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने का विकल्प होगा।
- 7. अवशिष्ट उपबंध-आयोग के सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के निबंधन और शर्तों से संबंधित के विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, अयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 8. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह आदेश द्वारा और लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए किसी किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल किया जाएगा।

अनुसूची 3 (नियम 4(5) देखिए) चिकित्सीय सुविधाएं

1. बाह्य चिकित्सीय व्यय-सिचव, अधिकारी और कर्मचारी स्वयं और कुटुंब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए "कुटुम्ब" पद का वही अर्थ है, जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या), नियम, 1944 में हैं।

- (ii) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी को एक मास के वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी ।
- (iii) दावे को चिकित्सक के नुस्खे और मूल कैश मैमो या चिकित्सक द्वारा उपचार के लिए बिल तथा दवाइयों की खरीद द्वारा समर्थित होना चाहिए तथा वर्ष के दौरान वेतनवृद्धियां या प्रोन्नित की निर्मुक्ति, 1 जनवरी तक की सीमा पर प्रभाव नहीं डालेगी।
- (iv) वर्ष के दौरान पद ग्रहण कर रहे सचिव, अधिकारी और कर्मचारी के लिए वार्षिक हकदारी अनुपात के आधार पर निर्बंधित होगी ।
- (v) बाह्य उपचार, आयोग द्वारा रखे जाने वाले पैनल से प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों से करागा जाएगा ।

2. आंतरिक उपचार-

- (i) आंतरिक उपचार के प्रयोजन के लिए आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी, इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए उपचार की लागत जिसमें अस्पताल वास, नर्सिंग होम सुविधा आदि सम्मिलित है, समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी।
- (ii) उपरोक्त खंड (i) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वहीं होंगे, जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।
- (iii) प्राधिकृत अस्पताल में उपचार आपातकाल के सिवाए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों की सलाह पर कराया जा सकेगा।

अनुसूची (नियम 3 देखें)

नाम संख्या वर्गीकर प्रेड वेतन अथा। जाने का जो का लिए जाने वाले जाने का जो का जा जा का जा का जो का जा जा जा जा का जा ज															
प्रा सेतनमान पर प्राप्त केतनमान केतनमान पर प्राप्त केतनमान केतनम	पद	का	पदों की		वेतन बैंड	चयन			सीधे भर्ती	सीधे				यदि विभागीय	भर्ती करने में
सेहित सहित सहित करीय के तिया मा सहित सहित करीय के तिया मा सहित के तिया मा सहि	नाम		संख्या	1	ì										
सहित के नियम नहीं तामू नहीं तामू नहीं तामू नहीं होता । होता । होता । होता । होता । होता । सकता है । वित्र मान करना है । वितर मान हिता । सकता है । वितर मान हिता । वितर मान वितर म	1			ण	1 .		1								
सिविल सोवा (पैंचान) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुक्षेत्र है या नहीं जा महीं अप्रीया शेरित शेरित से किया सिवित से किया सिवित		-	1	·	1 .	। पद								संरचना	
सीमा (रॅशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अवीन अनुक्रेग हैं या नहीं विवाद करने के वार्य नहीं होता					सहित			4			कोई हो			1	
(वंषन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुश्रेय हैं या नहीं श्री किक अहीना अनुश्रेय हैं या नहीं होगी नात स्वितित वाप होंगी या नहीं। या नहीं वाप होंगी या नहीं। या नहीं। या नहीं वाप होंगी या नहीं। या नहीं वाप होंगी या नहीं। या या या प्रत्या सरकार के परे अधाव सरकार के परे अधिकारियों से वार्षिक वृद्धि। उल्लाव के वित्या या प्रत्या सरकार के परे अधिकारियों से वार्षिक वृद्धि। उल्लाव के वृद्धि के व्यव्यव के वित्यव के वृद्धि। उल्लाव के					į į			आयु-							
नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुकोय है या नहीं वियम अनुकोय है या नहीं वियम के वियम ने तामू नहीं तामू नहीं तामू नहीं तामू नहीं नहीं वा नहीं वियम वियम तामू नहीं तामू नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जे वेतनयान के के अधार के के अधार के के अधार पर परिवर्तन 10000 के ताम के वेतन मान किए0. (ते) के तीय सकता है वेतन मान किए0. (ते) के तीय सकता है वेतन मान किए0. (ते) के तीय सकता है वेतन मान किए0. (ते) के तीय सकता के किए वा परिवर्तन वेतन मान किए0. (ते) के तीय सकता के किए वा परिवर्तन वेतन मान किए0. (ते) के तीय सकता के किए वा परिवर्ता के किए वा परिवर्तन वेतन मान किए0. (ते) के तीय सकता के किए वा परिवर्तन वेतन मान किए0. (ते) के तीय सकता के किए वा परिवर्ता किए वा परिवर्ता के किए वा परिवर्ता के किए वा परिवर्ता के किए वा पर								सीमा	अन्य अहताए		j	की प्रतिशतता ।			जाएगा ।
1972 के नियम 30 के अधीन अनुकोय है या नहीं क्षिता क्ष्या			-	1				}		1			जाएगा ।		1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (15) (16) (16) (17) (18) (19) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16	1	1		}			1		Ì	। आयु					}
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1. सचिव - 1* (2009) लागू वेतन बैंड चयन लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं होता । होत									l				•		
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1. सिंचिय 1* (2009) ताम् वेतन बैंड चयन ताम् नहीं होता होता			İ	1							ĺ				
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1.सिविव 1* (2009) लागू वेतन बैंड चयन लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं होता । होता	1		1]							Ì		•		Ì
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1. सिंचिव 1.* (2009) लागू वंतन बैंड चयन लागू नहीं होता ह	}	1		}		9	जिनुशय जाञ्चली	' 	ł						}
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1. सांचिव 1* (2009) लागू वेतन बैंड चयन लागू नहीं लागू नहीं होता				ĺ			વાગણ		l						
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1. साचिव 1* (2009) लागू वेतन बैंड चयन लागू नहीं लागू नहीं होता ।	1								1	में लाग					
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1. सांचिव 1* (2009) लागू वंतन बैंड चयन लागू नहीं होता हो	Ì			}		,			ì	होंगी या]			
1. सिचिव 1* (2009) लागू वेतन बैंड चयन लागू नहीं होता होता		1			1										İ
नहीं 37400- होता होता होता होता नहीं हो होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता			(2)	(3)		(5)			(8)	(9)	(10)			(13)	(14)
होता 67000 क्छ (तीन एप्रोन्गित पर प्रितशत की दर से विचार करने के वार्षिक वृद्धि (लए) जिसमें पर परिवर्तन 10000 क्छ पा सकता है। वितान मान 67000 क्छ (दों) केन्द्रीय सरकार के 1. भारत का ऐसे अधिकारियों से प्रतिरपर्धा को वेतन बैंड आयोग का - 37400-67000 क्छ (से वार्षिक वृद्धि) - 79000	1.स	चिव	· 1* (2009)		वेतन बैंड	चयन	लागू नहीं				लागू		1. प्रतिनियुक्ति	विभागीय	लागू नहीं होता
# कार्थभार फिछ + ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतनः ग्रेड वेतन ग्रेड वेतन ग्रेड वेतन ग्रेड वेतन ग्रेड वेतन ग्रेड वेतन ग्रेड वेतन ग्रेड वेतन वेंड अर्थेग के वेत्र वेत्य वेत्र वेत्य वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्य वेत्र वेत्य वेत्र वेत्य वेत्र वेत्य वेत्र वेत्य वेत्र वेत्य वेत्र वेत्य				नहीं	37400-		होता ।	होता ।	होता ।	नहीं	नहीं	प्रोन्नति द्वारा ।	(क) वेतनमान	प्रोन्नति समिति	
के आधार प्रेड धेतनः 10000 किया जा का का किया जा के किया जा के किया जा किया जा के किया जा के किया जा के किया जा के किया जा के किया जा जा किया	Ì			होता	67000]	होता ।	होता ।		67000 रु०-(तीन	(प्रोन्नति पर]
पर परिवर्तन 10000 क्छ निम्निलिखत होंगे : सकता है वेतन मान विकास में किया जा किया जा किया जा किया जा किया जा किया जा किया जा किया जा किया निम्निलिखत होंगे : या राज्य सरकार के 1. भारत का हिंगे किया जा किया के किया जा किया के किया जा किया के किया किया किया किया किया किया किया किया	}		* कार्थभार		+ 0675				ļ				प्रतिशत की दर से	विचार करने के	
किया जा सकता है । वितन मान वितन मान वित्रा			के आधार		ग्रेड वेतनः			ļ	į				वार्षिक वृद्धि)	लिए) जिसमें	
सकता है । वेतन मान 67000 एसे अधिकारियों से प्रतिस्पर्धा एक-(3) एकी दर से वार्षिक वृद्धि)-79000 1. भारत के वित्र से वार्षिक किए हुए हैं और आयोग के दो			पर परिवर्तन		10000				j				79000 ₹0	निम्नलिखित	
67000 ऐसे अधिकारियों से प्रतिस्पर्धा एते अधिकारियों से प्रतिस्पर्धा जो वेतन बैंड आयोग का - अकी दर अगिक विकास अगिक विकास व			किया जा		रुठ या								(i) केन्द्रीय सरकार	होंगे :	1
रु0-(3 % की दर से वार्षिक वृद्धि)- 79000			सकता है ।		वेतन मान								• •	1. भारत का	
% की दर से वार्षिक वृद्धि)- 7,9000 अध्यक्ष + ग्रेड वेतन 10000 में पदधारण किए हुए हैं और आयोग के दो	-				67000					İ			ऐसे अधिकारियों से	प्रतिस्पर्धा	
% की दर से वार्षिक वृद्धि)- 7,9000 अध्यक्ष + ग्रेड वेतन 2.भारत के 10000 में पदधारण प्रतिस्पर्धा किए हुए हैं और आयोग के दो					₹0-(3				1				जो वेतन बैंड	आयोग का -	
से वार्षिक वृद्धि)- 7,9000	1				% की दर				İ				37400-67000 ₹0	अध्यक्ष	
वृद्धि)- 79000 विरुए हुए हैं और आयोग के दो	1							1	İ					2.भारत के	
79000 किए हुए हैं और आयोग के दो							:		į				10000 में पदधारण	प्रतिस्पर्धा	
		j						į.	1					आयोग के दो	
	1				, i	ļ							समान श्रेणी में	l I	

प्रशासन या विसे या अहीवारित प्रविचार प्रविचार विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ यादि विशेषज्ञ या कारवार प्रवेषन में सारक्षित व्राव्य सहकोषित किया जा सहकोषित किया जा सहकोषित किया जा सहकोषित किया जा सकेंगा-सदस्य विज्ञी या (()) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अविकारियों से जो वेतनामा- 67000- रूप () अप्रतियत्त की दर से वार्षिक वृद्धि – 7900 में पदाराण किए वृद्धि न 7000 में पदाराण किए वृद्धि न 7000 में पदाराण किए वृद्धि न 7000 में पदाराण किए वृद्धि न 7000 में पदाराण किए वृद्धि न 7000 में पदाराण के ऐसे विष्ण के एक
अधिकारियों से जो वेतन बैंड 37400- 67000 रु0 + ग्रेड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7	7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	[भाग II—खण्ड 3(i)]
							MIN OF BALL						या औद्योगिक			ᆙ
	:												प्रबंधन में 2 वर्ष का			.
													अनुभव रखते हैं।	1		@ 3
				į									(ii) केन्द्रीय सरकार	ļ		19
												•	या राज्य सरकार के	1		
				! }									ऐसे अधिकारियों से	1		- }}
			<u> </u>		Ì								जो वेतन बैंड	1		
.									,		1		37000-67000 ₹0)		-
						Ì							+ ग्रेड वेतन			
			1	}		1							87000 में पदधारण			
													किए हुए हैं और		i	1
]	1							समान श्रेणी में			
	,				ĺ	1							प्रशासन या वित्त या	ļ		
						"						·	औद्योगिक प्रबंधन	1		م ا
		}		<u> </u>		1						,	में 3 वर्ष का			13
													अनुभव रखते हैं।			身
1	i		1]		1				ľ	1					설
	,												2.प्रोन्नति:			भारत का राजपत्र : असाधारण
	J.	}		1									(वेतनमान			
													67000-3 प्रतिशत			4
	*	}										,	कीं दर से वार्षिक			#
		ļ	1								Į.		वृद्धि-79000)	[ļ	
]		भारत के प्रतिस्पर्धा			
	,	ļ		ļ		ļ							आयोग में नियमित			-{}
		1		1					Ì				आधारा पर वेतन	1		
				1	}	1					[वैंड 37400-67000			-
		İ			<u> </u>			İ			ĺ		रु0 + ग्रेड वेतन			
						}		}		,	}		10000 रु0 में	1		- }}
			•										सलाहकार के रूप			
											•		में 5 वर्ष का			.
		[Į		अनुभव	[
		1		1				1			1		1 33.44			
		}											}	}		
2.	2* (2009)	लागू	37400-	चयन	लागू	45	और		या	लागू	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 50 वर्ष	1. प्रोन्नति द्वारा		लागू नहीं होता	
सलाहकार	, ,	नहीं 💮	67000		नहीं होता ।	50	वर्ष	वित्त या	लेखा	नहीं		जिसके न हो सकने	आयोग में निदेशक	प्रोन्नति समिति	1	11-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	. (8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			400 +			के बीच ।	या चाटर्ड	होता ।	,	पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	(वित्तीय विश्लेषण)	(प्रोन्नति पर	1 1
(वित्तीय	* कार्यभार	6 101	११८ म ग्रेड वेतन				अकाउंटेंट या				के रूप में कम से	विचार करने के	1:1
विश्लेषण)	के आधार		10000				कंपनी सचिव			2. प्रतिनियुक्ति या	कम चार वर्ष की	लिए) जिसमें	[]
	पर परिवर्तन		₹0				या लागत और	ŗ		स्थानांतरण या	सेवाः ।	निम्नलिखित	
	किया जा	İ	***				संकर्म लेखा			अल्पकालिक संविदा		होंगे :	
	सकता है।						पाल में			द्वारा पच्चीस प्रतिशत ।	2.प्रतिनियुक्ति द्वारा	1.अध्यक्ष भारत]]
							पीएचडी या				I	का प्रतिस्पर्घा	
				-			समतुल्य और	•		3. सीधी भर्ती द्वारा		आयोग-अध्यक्ष	
							सुसंगत क्षेत्र			पच्चीस प्रतिशत ।	आवश्यक :	2.भारत के	
		1					में 13 वर्ष				अखिल भारतीय	प्रतिस्पर्धा	
İ							का अनुभव या				सेवा या केन्द्रीय	आयोग के दो	
]				वाणिज्य में				सिविल सेवा '		
	1						मास्टर डिग्री	1			समूह क' स्वायत्त	3.बाह्य	
	ļ						कारबार	i	1		शासी संगठनों या	विशेषज्ञ यदि	
							प्रशासन (वित्त	Ì	Ì		विनियामक	आवश्यक	1
1							या लेखा) में				प्राधिकरणों या	1 00	
		1		1			मास्टर डिग्री				विश्वविद्यालय या	1 ~ ~ ~	1
			1	ļ		1	या सुसंगत		1		अकादमिक या		
		1	1				क्षेत्र में 17				अनुसंधान संस्थानों	· I	
		į					वर्ष का		İ	•	आदि से ऐसे	सदस्य	
	}	1					अनुभव ।	İ]		अधिकारी जिनके	1	1.
	1		•	ì	į						पास वाणिज्य में		
	1							1			मास्टर डिग्री या		
	1			1		İ	-				कारबार प्रशासन	.	
			ļ	}			\				(वित्त) में मास्टर डिग्री या चाटर्ड		l l
		1	ł				1				j.		
			1	1							अकाउंटेंट या	1	1
							•	1			कंपनी सचिव या		
ļ				1					1	1	लागत संकर्म लेखा पाल है तथा		
											पाल है तथा नियमित आधार पर	1	1
		1	1							ĺ	1	1	
				}							सादृश्य पद य श्रेणी में काम क		
			İ	Ì	.]						रहे हैं या 8900		
										1	रह है या ठड़िंग		
l l	1	l	- 1	1	i	1	.1	ı	t		VU 47 38 4011	<u>' </u>	

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	10
4. सताहकार (विधि)	3* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	37400- 67000 रु0 + ग्रेड वेतन 10000 रु0	चयन	लागू नहीं होता ।	45 और 50 वर्ष के बीच ।		लागू नहीं होता ।	एक वर्ष	पचारा प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 2. पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण या अल्पकालिक संविदा द्वारा । 3. पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	पास अर्थशास्त्र या सांख्यायिकी में मास्टर डिग्री है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8900 रु० के ग्रेड वेतन में वार वर्ष का या 8700 रु० ग्रेड वेतन में वार वर्ष का या 8700 रु० ग्रेड वेतन में वार वर्ष का या 8700 रु० ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का अनुभव है और सुसंगल क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव है । वर्ष का अनुभव है और सुसंगल क्षेत्र में अनुभव (1) प्रोन्निति द्वारा आयोग में निदेशक (विधि) के रूप में कम से कम वार वर्ष सेवा । (2.) प्रतिनियुक्ति द्वारा आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिवल सेवा पारतीय विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा या स्वायम्त शासी	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे ; 1.अध्यक्ष भारत का प्रतिरपर्धा आयोग-अध्यक्ष 2.भारत के प्रतिरपर्धा आयोग के दो सदस्य- सदस्य 3.बाह्य विशेषज्ञ यदि आवश्यक	लागू नहीं होता ।	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) अौर सुसंगत क्षेत्र में 17 वर्ष तग अनुभव वांछनीय : प्रतिरपर्धा विधि में अनुभव ।	(e)	(10)	(11)	(12) संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या अक्तारमिक या अनुसंधान संस्थानों या न्याधिक संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8900 रु० के ग्रेड वेतन में चार वर्ष का या 8700 रु० ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का अनुभव है और सुसंगत क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव है ।	(13) समझा जाए तो समिति द्वारा सह विकल्प दिया जा (एकं मा-सदस्य	(14)
	`										प्रतिरधर्घा विधि में अनुभव ।		
5. निदेशक (वित्तीय विश्लेषण)	2* (2009) * कार्यभार के आधार	लागू नहीं होता ।	37400- 67000 ਾਨ0 + ਸ਼ੇਢ ਕੇਰਜ 8900 ਾਨ0	चयन	लागू नहीं होता ।	40 और 45 वर्ष के बीच !	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से काणिज्य या	लागू नहीं होता ।	1 वर्ष	 पचास प्रतिशत प्रोन्नित क्षरा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति क्षरा । पच्चीस प्रतिशत 	 प्रांनित द्वारा : आयोग्: में संयुक्त निदेशक (वित्तीय विश्लेषण) क रूप के क्य वार वर्ष की सेवा । 	(i) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्टः एक सदस्य— अध्यक्ष (ii) एअनिदेशक	लागू नहीं होता ।

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(5)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)
	पर परिवर्तन						वित्त या लेखा			प्रतिनियुक्ति	या		भारत का	
	किया जा			ļ			में पीएचडी या			रथानांतरण	या	2.प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिस्पर्धा	
	सकता है ।						समतुल्य,			अल्पकालिक	संविदा	1	आयोग-सदस्य	
							चाटर्ड			द्वारा ।			1	
							अकांउटेंट या					आवश्यक :	(iii) भारत का	
				1			कंपनी सचिव			3. पच्चीस		अखिल भारतीय		
							या लागत और			सीधी भर्ती द्वार	ī I	रोवा या केन्द्रीय	आयोग-	
1							रांकर्म लेखा					सिविल सेवा	सचिव-सदस्य ।.	
							पाल या			ļ		'समूह क' स्वायत्त]	
							वित्तीय					शासी संगठनों या	(iv) बाह्य	
							विश्लेषण और					विनियामक	विशेषज्ञ यदि	
							आठ साल का	ĺ				प्राधिकरणों या	समिति द्वारा	
]		अनुभव या					विश्वविद्यालय या		
							वाणिज्य में	ļ				अकंादिमिक या	1	
							मास्टर डिग्री					अनुसंधान संस्थानों		
							या कारबार		Ì			आदि से ऐसे		
	ļ	<u> </u>					प्रशासन में	ļ				अधिकारी जिनके	सदस्य	
		İ			<u> </u>		मास्टर डिग्री					पास वाणिज्य में	1	
					•		या समतुल्य	1				मास्टर डिग्री या		
]		और बारह वर्ष	<u> </u>				कारबार प्रशासन		
	1						का अनुभव ।					(वित्त) में मास्टर	1	
				j						·		डिग्री या चाटर्ड		
					\		वांछनीय :	ļ				अकाउंटेंट या		
					l '		प्रतिस्पर्धा मुद्दों			Į		कंपनी सचिव या	1	
							से संबंधित					लागत संकर्म लेखा		
							वित्तीय	,		Ì		पाल है तथा		
				-	1		विश्लेषण में					नियमित आधार पर		
						1	अनुभव					सादृश्य पदं या	1	
							િંગુસવ					श्रेणी में काम कर	1	
										1.		रहे हैं या 8700		
		1										रु० के ग्रेड वेतन में	'	
									1			चार वर्ष का या		
												7600 रु० ग्रेड		
												वेतन में आठ वर्ष		
												या समतुल्य ।		

at I		भारत का राजपत्र : असाधारण	

The probability of the consequence of the probability of the second consequences are also become an experience of the consequences of the conseque

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
6. निदेशक (अर्थशास्त्र 1)	(2) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	37400- 67000 रु० + ग्रेड वेतन 8900 रु०	चयन	लागू नहीं होता ।	(7) 40 और 45 वर्ष के बीच ।	आंवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्विवद्यालय से सृक्ष्म अर्थशास्त्र या औद्योगिक संगतन रिद्धांत या इकोनोमैट्रीक्स अर्थशास्त्र में पीएचडी या समतुल्य ; सुसंगत क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या	लागू नहीं होता ।	(10) 1 वर्ष	(11) 1. पचास प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा । 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा या स्थानांतरण या अल्पकालिक संविदा द्वारा पच्चीरा प्रतिशत । 3. सीधी भर्ती द्वारा पच्चीरा प्रतिशत ।	वांछनीय : प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वित्तीय विश्लेषण में अनुभवं । 1. प्रोन्नित द्वारा : आयोग में संयुक्त निदेशक (अर्थशास्त्र) के रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा ! (2) प्रतिनियुक्ति द्वारा ! आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिवल सेवा 'समूह क' या भारतीय आर्थिक सेवा. या स्वायत्त शासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों	(i) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य— अध्यक्ष ।		LAND AND A PLANTE MAL.
							समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव ।				आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर			

State of the state

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											रहे हैं या 8700		
1											रु0 के ग्रेड वेतन में		
1											चार वर्ष का या		ĺ
	('		'					7600 रु० ग्रेड		
											वेतन में दस वर्ष या		j
1	}				,						समतुल्य ।		1
											वांछनीय :		1
1											प्रतिस्पर्धा विधि में		1
											अनुभव ।		1
7.	** - ()	-1111	37400-	चयन	लागू नहीं	40 और	आवश्यक	लागू	१ वर्ष	प्रोन्नति द्वारा पचास	(1) प्रोन्नित द्वारा	(i) अध्यक्ष द्वारा	लागू नहीं होता
7. निदेशक	*5 (पांच) (2009)	लागू नहीं	67000	। प्रा	होता ।	40 जार 45 वर्ष	प्रतिस्पर्धा विधि	नहीं नहीं	1 44	प्रतिशत जिसके न हो	आयोग में संयुक्त	ा) अध्यक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट	211 361 6901
(विधि)	(2009)	होता ।	₹0 +		GIGHT 1	के मध्य ।	में पीएचडी	होता ।		सकने पर प्रतिनियुक्ति	निदेशक (विधि) के	एक सदस्य-	' 1
(,	* कार्यभार	Gran 1	ग्रेड वेतन				डिग़ी या			द्वारा ।	रूप में कम से कम	अध्यक्ष	
	के आधार		8900 रु0			}	समतुल्य और				चार वर्ष सेवा ।		
	पर परिवर्तन		3333				सुसंगत क्षेत्र			2. प्रतिनियुक्ति या		(ii) महा	1
	किया जा					1	आंठ वर्ष का			रथानांतरण या	(2) प्रतिनियुक्ति	निदेशक भारत	ļ
	सकता है ।					}	अनुभव या			अल्पकालिक संविदा	द्वारा	का प्रतिस्पर्घा	}
	}		-	}		}	विधि गें			द्वारा पट्वीरा प्रतिशत ।	आवश्यक :	आयोग-सदस्य	
	ł	}		i			मास्टर डिग्री				अखिल गारतीय		
		Ì		Ì			या समतुल्य			3. सीधी मर्ती द्वारा	सेवा या केन्द्रीय	(iii) सचिव	ĺ
							और सुसंगत			पच्चीस प्रतिशत ।	सिविल सेवा	भारत के	1
		}		İ		}	क्षेत्र में दस				'समूह क' या	प्रतिरपर्धा	Ţ
1.				}	}		वर्ष का				भारतीय विधि सेवा	आयोग -	}
1	}						अनुभव या किसी मान्यता			į	या भारतीय कंपनी	सदस्य	
							प्राप्त				विधि सेवा या	(iv) बाह्य	
				1			विश्वविद्यालय				स्वायत्त शासी संगठनों या	विशेषज्ञ यदि	
		}	}				से				संगठनों या विनियामक	आवश्यक	
	,						विधि में				प्राधिकरणों या	समझा जाए तो समिति द्वारा	
		}		}			बैचलर डिग्री	}		1	विश्वविद्यालय या	सामात द्वारा सह विकल्प	
				1			(वृत्तिक) या	1			अकादिमक या	दिया जा	
				1			समतुल्य और		1		अनुसंधान संस्थानों	सकेगा-सदस्य	
			1				सुसंगत क्षेत्र				या न्यायिक		
		}					में बारह वर्ष] ·	}		संस्थानों आदि से		

|| lu

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							का अनुभव वाछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव ।				ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री है तथा नियगित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8700 रूग के ग्रेड वेतन में चार वर्ष का या 7600 रूग ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव है ।		
8. संयुक्त निदेशक (वित्तीय विश्लेषण)	4* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता ।	37400- 67000 ₹0 + ਮੁੰਫ ਬੇਜ਼ਜ 8700 ₹0	चयन	लागू नहीं होता ।	35 और 40 वर्ष के बीच I	आवश्यकः : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या वित्त या लेखा में पीएचडी या समतुल्य, चाटर्ड अकांउटेंट या कंपनी सचिव या लागत और संकर्म लेखा पाल या वित्तीय	लागू नहीं होता ।	1 वर्ष	पंचास प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । प्रतिनियुक्ति या रथानांतरण या अल्पकातिक संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत । सीधी भर्ती द्वारा पच्चीस प्रतिशत ।	1. प्रोन्नित झरा : आयोग में उपनिदेशक (वित्तीय विश्लेषण) के रूप में कम से कम छह	(i) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देष्ट एक सदस्य- अध्यक्ष (ii) महा निदेशक भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य (iii) सचिव भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य विशेषज्ञ यदि	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(4)			(5)	(0)		तीन वर्ष का अनुभव या वाणिज्य में मास्टर डिग्री या कारबार प्रशासन मास्टर डिग्री या समतुल्य और छह वर्ष का अनुभव जिरामें कारपोरेट सेवटर में अनुभव भी है । यांछनीय : प्रतिस्पर्धा मुझें से संबंधित विद्येषण में अनुभव 1		(10)		प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में भास्टर डिग्नी या कारबार प्रशासन (वित्त) में भास्टर डिग्नी या नाटर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सनिव या लागन संकर्म लेखा पाल है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 7600 रुठ के ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या 6600 रुठ ग्रेड वेतन में दस वर्ष या समतुत्य । वांछनीय : प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वितीय विश्लेषण में अनुभव	आवश्यक समझा जाए तो समिति द्वारा सहविकल्प दिया जा सकेगा-सदस्य ।	(14)
9. संयुक्त निदेशक (अर्थशास्त्र 1)	*10 (2009) * कार्यभार	लागू नहीं होता ।	37400- 67000 रु0 + ग्रेड वेतन 8700 रु0	चयन	तागू नहीं होता ।	35 और 40 वर्ष के मध्य ।	आवश्यक : अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में पीएचडी या समतुल्य और	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष	प्रोन्नित द्वारा पचास प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	। (1) प्रोन्नित द्वारा आयोग में उप निदेशक (विधि) के रूप में कम से कम छह वर्ष सेवा ।	(i) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

4	
-	

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (10) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	. (9)	(10)	(11)/	(12)	(13)	(14)
											वांछनीय : प्रतिस्पर्धा अर्थशास्त्रः में अनुभव ।		
10. पांयुक्त निदेशक (विधि)	*10 (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	37400- 67000 ਾਰ + ਸ਼ੇਫ ਬੇਜਜ 8700 ਾਰ	चयन	लागू, नहीं होता ।	35 और 40 वर्ष के बीच	आदूष्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याद्वयः मतिस्पर्धा विश्वविद्याद्वयः में पीएचडी डिग्नी या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव या विश्व में मार्स्टर हिग्नी या रामतुल्य और पुरंग्यत क्षेत्र में नार वर्ष या विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्नी (वृत्तिक) या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव जिरामें कारपोरेट सेगटर में	लागू नहीं होता ।	1 तर्ष	प्रोत्नित द्वारा पचास प्रतिशत जिसके न हो सकने ।पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 2. प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण गा अल्पकालिक संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत । 3. सीधी गर्ली द्वारा पच्चीस प्रतिशत ।	(;) प्रोन्नित द्वारा आयोग में उप निदेशक (विधि) के रूप में कम से कम छह वर्ष की सेवा। (2) प्रतिनियुर्वित द्वारा आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवा भारतीय कंपनी विधि सेवा या भारतीय कंपनी विधि सेवा या भारतीय कंपनी विधि सेवा या विनयामक प्राधिकरणों या विनयामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या अकादिमक या अनुसंधान संस्थानों या न्यायिक संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री है तथा नियमित आधार पर सादृश्य	(i) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य- अध्यक्ष (ii) महा निदेशक गारत का प्रतिस्पर्घा आयोग-सदस्य (iii) सचिव भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) वाह्य विशेषहा यदि आवश्यक समझा जाए तो समित द्वारा जिकत्य दिया जा सकेगा-	लागू नहीं होता ।

5 7 -

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

15 AKI 11 -- OFC.

(1) ((3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						सम्मितित है । वांछनीय : प्रतिरगर्धा विधि में अनुभव ।				पद था श्रेणी में काम कर रहे हैं या 7600 ए० के ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या 6600 रू० ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव है। वांछनीय :		
	होता । वंभार प्रदार वर्तन जा	15600- 39100 रु० + गेड वेलन 7600 रु०	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	तैतीस वर्ष 	आवश्यक वाणिज्य में मारटर डिग्नी या कारबार प्रशासन में लेखा और वित्त सहित मारटर डिग्नी या समतुल्य या अहित या चाटर्ड अकाउंटेट/कंप नी सर्विय/अगत लेसा पाल/विसीम विश्वलेषक गा समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र जिसमें कारपोरेट भी सम्बेल्टर भी सम्बेल्टर भी	तागू नहीं होता ।	एक वर्ष	सीवी भर्त्ती द्वारा पचहत्तर प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण/अल्पकालि क संविदा द्वारा । प्रतिनियुक्ति द्वारा पच्चीस प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीवी भर्त्ती द्वारा ।	द्वारा । आवस्यकः : अखिलः भारतीय	(i) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य-अध्यक्ष (ii) महा निदेशक भारत का प्रतिस्पर्या आयोग-सदस्य (iii) सवित्य के प्रतिस्पर्धा आयोग सदस्य (iv) बान्य विशेषज्ञ यदि आनश्यक समझा जाए तो स्निति द्वारा सहिवेकल्य	लामू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							में तीन वर्ष का अनुभव ।				कंपनी सचिव या लागत संकर्म लेखा पाल है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 6600 रु० को ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव या समतुत्य । वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव ।	सकेगा-सदस्य 	
12. उप निदेशक (अर्धशास्त्र T)	*18 (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	15600- 39100 ਝ0 + ਸ਼ੇਫ ਕੇਰਜ 7600 ਝ0	चयन	लागू नहीं होता ।	तेंतीस वर्ष ।	आवश्यक : अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें कारगोरेट सेवटर में अनुभव भी है । वांछनीय : सूक्ष्म अर्थशास्त्र या औद्योगिक संगठन	लागू नहीं होता ।	1 वर्ष	सीधी भर्त्ती द्वारा पचहत्तर प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण 1/अल्पकालिक संविदा द्वारा । प्रतिनियुक्ति द्वारा पच्चीस प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	1. प्रतिनियुक्ति द्वारा । अावश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवा 'समूह क' स्वायत्त शारी संगठनों या विनियागक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या अकादिगक या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री या	(i) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य-अध्यक्ष (ii) महा निदेशक भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-रादस्य (iii) सचिव भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य विशेषज्ञ यदि	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	\ चि
13. उप निदेशक (विधि)	*18 (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	15600- 39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0	चयन	लागू नहीं होता ।	तैंतीस वर्ष ।	अर्थमैद्रिक्स या वित्तीय अर्थशास्त्र में विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान । विषय ज्ञान विषय । विषय ज्ञान	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा पचहत्तर प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण I/अल्पकालिक संविदा द्वारा । प्रतिनियुक्ति द्वारा पच्चीस प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री या चाटर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत संकर्म लेखा पाल है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 6600 रु० के गेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव या समतुल्य । वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव । 1. प्रतिनियुक्ति द्वारा । आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय रिवित सेवा 'समूह क' स्वायत्त शारी संगठनों या विगियागक प्राधिकरणों या विश्वाविद्यालय या अकादिमक या अनुसंधान संस्थानों	का प्रतिस्पर्घा आयोग-सदस्य (iii) राचिव भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता ।	[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(e)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							अर्थशास्त्र या औद्योगिक संगठन रिद्धांत या अर्थमैट्रिक्स या वित्तीय अर्थशास्त्र में विषय ज्ञान ।				/न्यायिक संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास विधि में बैचलर डिग्री है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 6600 रुठ के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव या समतुल्य । वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव ।	विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए तो सगिति द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा-सदस्य ।	
14. संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)	01(2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	37400- 67000 रुठ + ग्रेड वेतनः 8700 रुठ	चयन	तागू नहीं होता ।	तैतालीस वर्ष ।	आवश्यक : वाणिज्य में मास्टर डिग्री या समतुल्य/कारब ार प्रशासन में मास्टर डिग्री/चार्टड एकाउंटेंट/कंप नी सचिव/लागत लेखापाल या समतुल्य और अनुभवः सुसंगत क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभवः वांछनीयः	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष ।	प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा या सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नित द्वाराः (1) ऐसा उपनिदेशक (वित्त और लेखा) जिसने आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो (ii) प्रतिनियुक्ति द्वाराः आवश्यकः अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समृह ' क' /भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा/मारतीय सेवा/भारतीय सेवा/भारतीय सेवा/भारतीय	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ,	14. संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)

grown some some

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	温
							लोक वित्त/व्यथ नियत्रंण/लेखा परीक्षा में कार्य करने का अनुभव ।				न तार लेखा सेवा/भारतीय रक्षा लेखा सेवा/भारतीय रक्षा लेखा सेवा को ऐसे अधिकारी जो सदृश पदों पर/ग्रेड में कार्य कर रहे हैं और जिनके पास 7600 रक्त के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 6600 रक्त या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव है और लोक वित्त/लोक बजट बनाने संबंधी/व्ययं नियंत्रण में कुल सात वर्ष का अनुभव । वांछनीयः वाणिज्य में मास्टर डिग्री/कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री/चार्टड एकाउंटेंट/ कंपनी सचिव /लागत लेखापाल में मास्टर डिग्री।			भारत का राजपत्र : असाधारण
15. संयुक्त निदेशक	01(2009)*	लागू नहीं होता ।	37400- 67000 रत्त +	चयन	लागू नहीं होता ।	तैतालीस वर्ष ।	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त्	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/	प्रोन्नित द्वारा : (I) ऐसा उपनिदेशक (सूचना	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के	लागू नहीं होता ।	
(सूचना प्रोद्योगिक ी)	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन		ग्रेड वेतनः 8700 रु0				विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी में मास्टर	Ç ,		स्थानांतरण/ अल्पकालिकः संविदा/ सीधी मर्ती द्वारा ।	प्रौद्योगिकी) जिसने आयोग में कम से	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट		
	किया जा		עיי				म मास्टर डिग्री/प्रोद्योगिट			त्याचा महा श्रह्म	कम पांच वर्ष सेवा की हो	एक सदस्य - अध्यक्ष		: B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7).	(8)	(9)	(10)	(1,1)	(12)	(13)	(14)
	सकता है ।						ही में तैनलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या समतुल्य या विज्ञान(इंजीनि यरी)/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री और साथ ही सुसंगत क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव हो ।				(ii) प्रतिनियुक्ति ह्याः राष्ट्रीय सूचना केन्द्र या किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत ऐसा सूचना प्रोद्योगिकी व्यवसायी जिसके पास कम्प्यूटर अनुप्रयोग में बैचलर डिग्री/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री/विज्ञान (कंपनी सचिव) में मास्टर डिग्री/ प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य आदि हो और साथ ही 7600 रूठ के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 6600 रूठ या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस पांच का अनुभव हो।	(ii) आयोग तः। गहानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहविकल्प दिया किया जा सकेगा - सदस्य	
16. उप निदेशक (कारपोरेट सेवा)	05(2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता ।	15600- 39100 रुत + ग्रेड वेतनः 7600 रुत	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य ;	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष ।	प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिय ह संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा ।	(I) प्रोन्नित द्वाराः ऐसा सहायक निदेशक (कारपोरेट सेवा) सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त तथा लेखा जिसने आयोग में कम से कम पांच	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का	लागू नहीं होता ।

i mil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	. (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	'=
							(ii) कार्मिक प्रबंधन/सचिवी य व्यवसाय में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य ; और अनुभवः सहायक निदेशक स्तर परं पांच वर्ष का अनुभव वांछनीयः मानव संसाधन प्रबंधन/सचिवी य व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य सहित मास्टर डिग्री या समतुल्य ।				(11) प्रतिनियुक्ति द्वाराः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य पात्रताः सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत अधिकारी या सुसंगत क्षेत्र (स्थापन/कार्मिक प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन) में 6600 स्क ग्रेड वेतन या समतुल्य में 5 वर्ष का अनुभव।	महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहिवकल्प दिया जा सकेगा - सदस्य		[भाग]]—खण्ड 3(j)] भारत का राजपत्र : असाधारण
17. उप निवेशक (वित्त और लेखा)	01(2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	15600- 39100 स्त्र + ग्रेड वेतनः 7600 स्त्र	चयन	लागू नहीं होता ।	तेंतीस वर्ष ।	आवश्यकं : वाणिज्य में मास्टर डिग्री या समतुल्य या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री/चार्टड एकाउंटेंड/कंप नी	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष ।	प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण 1/अल्पकातिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा ।	(i) प्रोन्नित द्वाराः ऐसा सहायक निदेशक (वित्त और लेखा) जिसने आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो — (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा अखिल भारतीय	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वास नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य	लागू नहीं होता 	25

(12) (13) (14) (11) (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (3) सेवा/केन्द्रीय सचिव/लागत (iii) सचिव, सिविल सेवा समूह लेखापाल में भारत का /भारतीय मास्टर डिग्री प्रतिस्पर्धा या समत्रल्य लेखापरीक्षा और आयोग -लेखा सेवा/भारतीय : और सदस्य अनुभवः सिविल लेखा (iv) बाहर से सुसंगत क्षेत्र सेवा/भारतीय डाक ऐसा विशेषज्ञ. में तीन वर्ष - ' तार लेखा यदि आवश्यक सेवा/भारतीय रक्षा का अनुभव समझा जाए. वछिनीयः लेखा सेवा/भारतीय समिति जो रेल लेखा सेवा के लोक द्वारा सहयोजित वित्त/व्यय ऐसे अधिकारी जो किया नियत्रंण/लेखा सदृश पदों पर/ग्रेड सकेगा में कार्य कर रहे हैं परीक्षा में कार्य सदस्य या जिनके करने अनुभव । 6600 रन0 समतुल्य के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव है । उच्च अर्हता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी। लागू नहीं होता तैंतीस वर्ष एक वर्ष प्रोन्नति द्वारा, जिसके लागू (i) भारत का लाग् 18. उप 01(2009)* लागू 15600-चयन आवश्यक : न हो सकने पर (i) प्रोन्नति_ द्वाराः निदेशक नहीं होता । प्रतिस्पर्धा नहीं किसी नहीं 39100 होता 🕆 प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण (सूचना होता । ऐसा सहायक आयोग के मान्यताप्राप्त स्र + ा/अल्पकालिक संविदा/ प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय निदेशक (सूचना अध्यक्ष द्वारा ग्रेड वेतनः सीधी भर्ती द्वारा । प्रौद्योगिकी) जिसने नामनिर्दिष्ट * कार्यभार से बी.टेक या 7600 आयोग में कम से इंजीनियरी में एक सदस्य -आधार रन0 पर परिवर्तन बैचलर डिग्री कम पांच वर्ष सेवा अध्यक्ष की हो (ii) आयोग किया या समतुल्य जा (ii) प्रतिनियुक्ति या कम्प्यूटर सकता है । महानिदेशक अनुप्रयोग/ द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र विज्ञान(इंजीनि सदस्य या किसी अन्य यरी)/कंप्यूटर (iii) सचिव, विज्ञान/सूचना सरकारी संगठन में भारत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	H
							प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री और साथ ही सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव हो ।	7111	एक सर्प	प्रोन्नति द्वारा, जिसके	कार्यरत ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी जिसके पास कम्प्यूटर अनुप्रयोग में बैचलर डिग्री/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री/विज्ञान (कंपनी सचिव) में मास्टर डिग्री/प्रौद्योगिकी में बैचलरडिग्री आदि हो और साथ ही 6600 स्त या समतुल्य के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव हो ।	आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति	लागू नहीं होता	[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
19. सहायक निदेशक (वित्त लेखा)	02(2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता ।	15600- 39100 रू0 + ' ग्रेड वेतनः 6600 रू0	- चयन -	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता !	आवश्यक : (i) वाणिज्य में बैचलर डिग्री या समतुल्य और अनुभवः (ii) सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव वांछनीयः उच्च अर्हता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी।	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष 	प्रान्तात द्वारा, जिसक न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा द्वारा ।	(1) प्रान्तित हाराः ऐसा कार्यालय प्रबंधक (वित्त और लेखा) जिसने कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो (II) प्रतिनियुक्ति हाराः किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत हैं या जिनके पास सुसंगत क्षेत्र (बजट वित्त् और लेखा) में 5400 रू0 के ग्रेड	प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वांस नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य	Tell Fill	: असाधारण 27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(-)										वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रूठ के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 रूठ के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रूठ या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभत हो	ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहविकत्प दिया जा सकेगा - सदस्य	
20. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	03(2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता ।	15600- 39100 रुग्र + ग्रेड वेतनः 6600 रुग्र	लागू नहीं होता !	लागू नहीं होता ।	तैतीस वर्ष ।	आवंश्यक : (i) प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री/ इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (ii)कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री/ विज्ञान(सूचना प्रौद्योगिकी)/कं प्यूटर विज्ञान/इंजीनि यरी में मास्टर डिग्री । अनुभवः सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष	प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा/ सीधी मर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति द्वाराः सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी या जिसके पास 5400 रूठ के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रूठ के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 रूठ के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रूठ वेतन में सात वर्ष या 4200 रूठ वेतन में सात वर्य	आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए.	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											मास्टर डिग्री या समतुल्य की अर्हता हो ।		
21. सहायक निदेशक (पुस्तकाल ाय सेवा)	02* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा राकता है	लागू नहीं होता ।	15600- 39100 स्त्रः + ग्रेड वेतनः 6600 स्त्रः	चयन	लागू नहीं होता ।	तागू नहीं होता ।	आवश्यक : (i) पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री और साथ में पांच वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा ।	(I) प्रोन्नित द्वाराः ऐसा कार्यालय प्रबंधक (पुस्तकाल सेवा) जिसने कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो (II) पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत हैं या जिनके पास 5400 का के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 का के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 का या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो ।	(i) भारत का प्रतिरपर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिरपर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहविकल्प दिया जा सकेगा - सदस्य	लागू नहीं होता
22. सहायक निदेशक (कोरपोरे ट सेवा)	14* (2009) * कार्यभार के आधार	लागू नहीं होता ।	15600- 39100 स्तः + ग्रेड वेतनः 6600 स्तः	चयन .	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	आवश्यक : (i) कि सी मान्यताप्राप्त् विश्वविद्यालय	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष ।	प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा/ सीधी मर्ती द्वारा ।	(I) प्रोन्नित द्वाराः ऐसा कार्यालय प्रबंधक (कारपोरेट सेवा) जिसने आयोग में कम से	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य -	लागू नहीं होता ।

Ċ

पर परिवर्तन किया जा सकता है। सि किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य ; और आवश्यकः किसी भी विद्या में बैचलर किश्री या समतुल्य विश्वविद्यात्य से आवश्यकः किसी मान्यताप्राप्त् (ii) मानव संसाधन प्रवंधन/सचिवी य व्यवसाय में डिप्लोमा/प्रमाण प्रवाद्यात्य प्रवंधन प्रवंधन प्रवंधन प्रवंधन प्रवंधन विद्या में अधिकारी जो सदृष्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, पाद पर/ग्रेड में प्रवंधन संस्थान का रोकड़ तथा लेखा पाठवक्रम या समतुल्य अनुभवः भी 5400 रूग को
कार्यालय प्रबंधक स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव वांछनीयः मानव संसाधम प्रबंधन/सचिवी य व्यवसाय में एक गर्षीय डिप्लोमा या समतुत्य

[भौंग II—खण्ड 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	1 (40)				
23.	04*	लागू	9300-	लागू	लागू नहीं				(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
कार्यालय प्रबंधक (चित्त और लेखा)	(2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	नहीं होता ।	34800	नहीं + होता ।	होता ।	अट्ठाईस वर्ष ।	आवश्यक : (i) वाणिज्य में बैचलर डिग्री या समतुल्य और साथ में तीन वर्ष का अनुभव, या (ii) किसी मान्यताप्राप्त् विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या मंतुल्य और साथ में सेचलर डिग्री या समतुल्य और साथ में सविवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का लेखा/वित्त/ रोकङ तथा लेखा पाठ्यक्रम या समतुल्य का एक वर्षीय डिप्लोमा और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।	होता ।	एक वर्ष ।	प्रोन्निति द्वारा, जिसर्व न हो सकने फ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति द्वाराः आवश्यकः ऐसे अधिकारी जिनके	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
24. कार्यालय प्रबंधक (कोरपोरे	20* (2009)। * कार्यभार	लागू नहीं होता ।	9300- 34800 रुरा + ग्रेड वेतनः	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	वर्ष ।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त् विश्वविद्यालय	लागू नहीं होता ।		हो सकने पर	आवश्यकः	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा	लागू नहीं होता ।

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	13
ट सेवा)	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।		5400 ₹₹0				से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य है और (ii) मानव संसाधन प्रबंधन/सचिवी य व्यवसाय में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव वांछनीयः मास्टर डिग्री या समतुल्य और साध में मानव संसाधन प्रबंधन/राचिवी य व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य।	**		पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण 1/ अल्पकालिक संविदा/ सीधी मर्ती द्वारा ।	मान्यताप्राप्त् विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय से वैचलर डिग्री (ii) ऐसे अधिकारी जो सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत है या जिनके पास सुसंगत क्षेत्र (स्थापन/निजी प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन) में 4600 रूठ के ग्रेड वेतन में तीन वर्ष का या 4200 रूठ या समतुल्य के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का अनुभव है। वांछनीयः उच्च अर्हता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी।	नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहयोजित किया जा सदस्य		THE GAZET LE OF INDIA: EXTRAORDINARY
25. कार्यालय प्रवंधक (पुरत्तकाल ाय सेवा)	01(2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	लागू नहीं होता ।	9300- 34800 रू० + ग्रेड वेतनः 5400 रू०	चयन ।	लागू नहीं होता ।	अट्ठाईस वर्ष ।	आवश्यक : (i) पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य अनुभवः पुस्तकालय	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अल्पकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांत ारण/अल्पकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा ।	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग	लागू नहीं होता ।	[FARI II—SEC. 3(I)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	., (6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	सकता है ।						तथा सूचना	•			•. * .	की	
]					सेवा के क्षेत्र	.]	;			महानिदेशक -	
			-				में तीन वर्ष					सदस्य	1
							का पश्च					(iii) सचिव,	i
1		1					अर्हता अनुभव					भारत का	
												प्रतिस्पर्धा	
										·		आयोग -	
												सदस्य	
								ļ				(iv) बाह्य]
	,											ऐसा विशेषज्ञ,	
		ĺ		! !				٠	ļ			यदि आवश्यक	
						1						समझा जाए,	}
				į				ì	i			जो समिति	
				:				{	1			द्वारा	
				i				i				सहविकल्प	
].												दिया जा	
			Ì									सकेगा -	
		L						<u>l</u>				सदस्य	

[फा. सं. 5/27/2007-आईजीसी/सीएस] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

 ω

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2009

- **G.S.R. 670(E).** In exercise of the powers conferred by clause (g) of subsection (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely: -
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Competition Act, 2002;
- (b) "Secretary" means a person appointed as Secretary under sub-section (1) of section 17 of the Act;
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.
- 3. Salary and allowances of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees. The salary and allowances of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees and their method of recruitment shall be as specified in Schedule I.

- **4. Conditions of service.** (1) The conditions of service of the Secretary, officers and other employees of the Commission in the matter of leave, joining time, joining time pay, age of superannuation, traveling allowance and leave travel concession shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to officers and employees of the Central Government belonging to corresponding category and scale of pay.
- (2) The Secretary, officers and employees of the Commission shall be eligible for general pool accommodation till a separate office and residential complex for the Commission is constructed.
- (3) The Secretary, officers and employees of the Commission including those on deputation, who are Government employees and have been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation.
- (4) The Secretary, officers and employees of the Commission not allotted accommodation shall be eligible for House Rent Allowance as admissible to officers and employees of the Central Government drawing similar pay scales.
- (5) The Secretary, officers and employees of the Commission including those on deputation while in service with the Commission shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule-II.
- (6) (i) The Secretary, officers and employees of the Commission appointed on deputation, shall continue to be governed by Provident Fund Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or organisation.
- (ii) The Commission shall recover contribution towards provident fund from such Secretary, officers and employees and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation.

- (iii) Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.
- (7) The Secretary, officers and employees of the Commission other than those on deputation shall be entitled Group Insurance as per the scheme to be formulated by the Commission in consultation with the Central Government:

Provided that in the case of the Secretary, officers and employees of the Commission appointed on deputation shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or organisation.

- (8) (i) The Commission shall recover contribution towards the insurance schemes from such Secretary, officers and employees and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation.
- (ii) Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.
- (9) The Secretary, officers and employees of the Commission who are not on deputation shall be governed by the new pension scheme.
- (10) The Secretary, officers and employees of the Commission who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or organisation.
- **5. Official visits abroad.** Official visits abroad by Secretary, officers and other employees of the Commission shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson of the Commission or any other Member or officer of the Commission authorised by the Chairperson.
- (2) Instructions issued by Ministry of External Affairs and Ministry of Finance as amended from time to time shall be applicable.

- **6. Deputation allowance.** The persons selected on deputation basis shall be given an option to either opt for the pay scale and other service benefits of the borrowing organization or to retain their own pay scales and get deputation allowance, as per the existing instructions of the Government of India on the subject.
- **7. Residuary provision.** Matters relating to the terms and conditions of service of the Secretary, officers and employees of the Commission with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision.
- **8. Powers to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, release any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Schedule- II

[See rule 4(5)]

MEDICAL FACILITIES

Outdoor Medical expenses- (i) Secretary, officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation - For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

- (ii) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less.
- (iii) The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines and the release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January.

- (iv) For Secretary, officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.
- (v) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Commission.

2 Indoor treatment-

- (i) For the purpose of indoor treatment the Secretary, officers and employees of the Commission shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Commission in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.
- (ii) The authorised hospitals for the purpose of clause (i) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rule 1944.
- (iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical Attendants except in emergency.

Schedule I

						;	(see rule 3)						_
Name of Post	Number of Post	Clássificati on	Pay band with Grade pay or pay scale	Whether selection Post or non- selection Post	Whether benefit of added years of services admissible under the rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules 1972.	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of variancies to be filled by various methods		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12).	(13)	(14)
.Secretary	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Pay Band Rs.37400- 67000 + Grade pay Rs.10000 or pay scale Rs.67000- (annual increment @ 3%) — Rs.79000 depending on the availability of candidates as indicated in Column 12.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or Promotion	1. Deputation: (a) For pay scale Rs.67000-(annual increment @ three per cent) – 79000 (i) From amongst officers of the Central Government or State Government – holding a post in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000, with ten years experience in Administration or Finance or Industrial management in the same grade. Desirable: Master's Degree in Economics or Business Administration or Bachelor's Degree in Law. OR (ii) From amongst officers of the Central Government or State Government	Departmental promotion Committee (for consideration promotion) consisting of: 1. Chairperson, Competition Commission of India — Chairperson 2. Two Members of Competition Commission of India — Members 3. Outside expert if considered necessary, may be coopted by the Committee - Member	Not Applicable

1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	. 14
										·	holding a post in the pay scale of Rs.67000 — (annual increment @ three per cent) — 79000.		
		•							:		(b) For pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000.		
						-					(I) From amongst officers of the Central Government or State Government holding a post in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.8900 with two years experience in administration or finance or industrial management in the same grade.		
											(ii) From amongst officers of the Central Government or State Government holding a post in the pay band Rs.37000-67000 + Grade Pay Rs.8700 with three years experience in administration or Finance or industrial management in the same grade.		
											2. Promotion: (For pay scale 67000 - annual increment @ 3% – 79000)		
											Five years experience as Adviser in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000/- in the Competition Commission of India on regular basis.		

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

PART II—SEC.

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Adviser Financial Analysis)	2*(2009) *Subject to variation work* load	Not applicable	Rs.37400- 67000 + Grade Pay Rs.10000	Selection	Not Applicable	Between 45 and 50 years	Ph.D. in Commerce or Finance or Accounting or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost and Works Accountant or equivalent and thirteen years experience in the relevant field. Or Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration (Finance or Accounts) and seventeen years experience in the relevant field.	Not applicable		1. Fifty per cent. by promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent by deputation or transfer or short term contract 3. Twenty five per cent by direct recruitment.	(I) By Promotion: at least four years service as Director (Financial Analysis) with the Commission. (II) By Deputation: Essential: Officers from the All India Services or Central Civil Services 'Group 'A' or Autonomous organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. with a Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost and Works Accountant and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8900 or eight years in the grade pay of Rs6700 on regular basis and should have at least ten years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Financial Analysis related to competition issues.	Departmental promotion Committee (for consideration or promotion) consisting of: 1. Chairperson, Competition Commission of india – Chairperson 2. Two Members of Competition Commission of India – Members 3. Outside expert if considered necessary, may be coopted by the Committee Member	Not applicable
. Adviser conomics)	, , ,	Not applicable	Rs.37400- 67000 + Grade Pay Rs.10000	Selection	Not Applicable	Between 45 and 50 years	Ph.D. in Economics or Statistics or equivalent and Thirteen years experience	Not applicable	One year	Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation.	By Promotion: at least four years service as Director (Economics) with the Commission. (II) By Deputation:	Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson	Not applicable

1.1	2	.3	4	5	. 6	. 7	8	9	10	11	12	13	14
							ŧ						
							Or Master's Degree In Economics or Statistics or equivalent; and seventeen years experience Desirable: Subject knowledge in microeconomics or industrial organization theory or econometrics or financial economics.			Twenty five per cent. by deputation or transfer or short term contract Twenty five per cent. by direct recruitment.	Essential: Master's Degree in Economics or Statistics or equivalent from a recognised university; and Eligibility: Officers from the All India Services or Central Civil Services 'Group 'A' or Indian Economic Service or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Oniversities or Academic or Research Institutions etc. with a Master's Degree in Economics or Statistics and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8900 or elight years in the grade pay of Rs.8700 on regular basis and should have at least ten years experience in the relevant field. Desirable: Experience in the field of Economics.	Two Members of Competition Commission of India – Members Coutside expert if considered necessary, may be coopted by the Committee Member	
4. Adviser (Law)	3* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400 67000 * + Grade Pay Rs.10000	Selection	Not Applicable	Between 45 and 50 years	Essential: (i) Ph.D. Degree In Competition Law or equivalent and Thirteen years experience in the relevant field. or (i) Master's Degree in Law or equivalent and	Not applicable	One year	Fifty per cent by Promotion, failing which by deputation. Twenty five per cent by deputation or transfer or short term contract	(I) By Promotion: At least four years service as Director (Law) with the Commission. (II) By Deputation: Essential: Officers from the All India Services or Central Civil Services 'Group 'A' or Indian Law Service or Indian Company Law Service or Autonomous	Chairperson, Competition Commission of India — Chairperson Two Members of Competition Commission of India — Members	Not applicable

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

to the same

fifteen years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Competition Law. fifteen years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Competition Law. Desirable: Experience in Competition Sect. Unitersities or Cacademic or Research Institutions or Countries or Cacademic or Competition Sect. Unitersities or Cacademic or Cacademic or Competition Sect. Unitersities or Cacademic or Cacade
experience in the relevant field Or (i) Bachelor of Law or equivalent, and seventeen years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Competition Law. Sexperience in the relevant field. Desirable: Experience in Competition Law. Sexperience in the relevant field. Sexperience in Competition Law. Sexperience in the grade pay of Rs.8900 on regular basis and should have at least ten years experience in the relevant field.
5. Director (Financial Analysis) Analysis) Not applicable (Financial Analysis) Promotion, failing which by deputation. Analysis) Analysis (I) One Member (I) Between Applicable (II) By Promotion, failing which by deputation. Analysis (II) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Financial Analysis) in the Commission. (II) By Deputation: Between Applicable (I) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Financial Analysis) in the Commission. (II) By Deputation: Between Applicable (I) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Financial Analysis) in the Commission. (II) By Deputation: Between Applicable (I) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Financial Analysis) in the Commission. (II) By Deputation: Between Accounting or equivalent from a recognised university; Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Accountant or Financial Analyst and Analyst and To remonite the promotion, failing which by deputation. Services or Central Civil Services Group 'A' or Universities or Academic India - Member (III) Secretary. Competition Commission of Universities or Academic India - Member (II) Director (Financial Analyst and To research Institutions or Research Institutions (IV) Outside

भारत का राजपत्र : असाधारण

[**भा**ग II—खण्ड 3(i)]

1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11	.12	13	14
							in Business Administration (Finance) or equivalent from a recognised University and twelve years experience				Secretary or Cost Accountant and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8700 or ten years in the grade pay of Rs.7600 or equivalent. Desirable: Experience in Financial Analysis related to	Member	
		,					Experience in Financial Analysis related to Competition Issues				Competition Issues.		
6. Director (Economics)	*5 (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs.8900	Selection	Not Applicable	Between 40 and 45 years	Essential: Ph.D. in Economics In Micro Economics or Industrial Organisation Theory or Econometrics or equivalent from a recognised university; And eight years experience in the relevant field. or Master's Degree in Economics or equivalent from a recognised University and twelve years experience in the relevant field.	Not applicable	One year	1. Fifty per cent by Promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent. by deputation or transfer or short term contract 3. Twenty five per cent. by direct recruitment.	(I) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Economics) with the Commission. (II) By Deputation: Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Indian Economic Service or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Regulatory Authorities or Research Institutions etc. having a Master's Degree in Economics and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8700 or tenyears in the grade pay of Rs.7600 or equivalent.	(i) one Member nominated by Chairperson- Chairman (ii) Director General Competition Commission of India- Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee - Member	Not applicable

i f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	₹ 14
							Desirable: Experience in Competition Law	·			Experience in Competition Law.		
7. Director (Law)	5* (Five) (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 8900	Selection	Not Applicable	Between 40 and 45 years	Essential: Ph.D. in Competition Law or equivalent from a recognised university; and eight years experience in the relevant field. or Master's Degree in Law or equivalent from a recognised University and ten years experience in the relevant field. or Bachelor's Degree in Law (Professional) or equivalent from a recognised university; and twelve years experience in the relevant filed. Desirable: Experience in Competition Law.	Not applicable	One year	1. Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent. by deputation or transfer or short term contract 3. Twenty five per cent. by direct recruitment.	Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research or Judicial Institutions having Bachelor's Degree in Law from a recognised university and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.7600 or equivalent. Desirable: Experience in Competition Law.	(i) one Member nominated by Chairperson - Chairmen (ii) Director General Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert If considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Not applicable
8. Joint Director (Financial Analysis)	4*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs.8700	Selection	Not Applicable	Between 35 and 40 years	Ph.D. in Commerce or Finance or Accounting equivalent from a	Not applicable	One year	Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation. Twenty five per	as Deputy Director (Financial Analysis) with the Commission. (II) By Deputation;	(i) one Member nominated by Chairperson - Chairman (ii) Director General	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 . (14
							recognised university or Chartered Accountant //Company Secretary/Cost and Works Accountant/ Financial Analysis or equivalent and three years experience in the relevant field. or Master's Degree in Comperce/ Master's Degree in Business Administration (Finance) and six years experience including Corporate Sector. Desirable: Experience in Financial Analysis related to Competition Issues			cent. by deputation or transfer or short term contract 3. Twenty five per cent. by direct recruitment.	Institutions with a Master's Degree in Commerce/ Master's Degree in Business Administration (Finance)/Chartered Accountant/Company Secretary/Cost and Works Accountant and working in analogous posts / grade or six years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent. Desirable: Experience in financial analysis related to competition issues	Competition Commission of India - Member (iii) Secretary - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee Member	
9. Joint Director (Economics)	10*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 8700	Selection	Not Applicable	Between 35 and 40 years	Essential: Ph. D Degree in Economics or Statistics or equivalent from a recognised university; and three years experience in the relevant field or Master's Degree in Economics or	Not applicable	One year	Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation. Twenty five per cent. by deputation or transfer or short term contract	(Economics) with the Commission (II) By Deputation: Eligibility: Essential: Officers of the All India	(i) one Member nominated by Chairperson - Chairman (ii) Director General Competition Commission of India - Member (iii) Secretary - Member	Not applicable

THE GAZETTE OF INDIA; EXTRAORDINARY [PART II—SE

	·		
1	13	14	ì
			ll:
ī	(iv) Outside		[4(4])— Gae 3(])
S	expert if	l.	1117
r	considered		1116
/	necessary,	1	1116
•	may be co-	ĺ	
: ,	opted by the	. [111
1	committee -		
į	Member		
S	i		111
S))	111
£	ľ	1	111

1/20	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Statistics or equivalent from a recognised university, and six years experience in the relevant field, including in Corporate Sector. Desirable: Subject knowledge in Micro Economics or Industrial Organisational Theory or Econometrics or Financial Economics.			3. Twenty five per cent. by direct recruitment.	Service/Indian Statistical Service/ Autonòmous OrganIsations or Regulatory Authorities/ Universities./Academic/Re search Institutions etc. with Master's Degree in Economics/ Statistics and working in analogous posts / grade or six years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent. Desirable: Experience in Competition Economics		
10. Joint Director (Law)	10* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 8700	Selection	Not Applicable	Between 35 and 40 years	Essential: Ph. D Degree in Competition Law or equivalent from a recognised university; and three years experience in the relevant field. or Master's Degree in Law or equivalent from a recognised university and four years experience in the relevant field. or Bachelor's Degree in Law	Not applicable	One year	1. Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent. by Deputation or transfer or short term contract 3. Twenty five per cent. by direct recruitment.	the Commission. (II) By Deputation: Eligibility: Essential: Officers of the All India Services/ Central Civit Services Group 'A'/ Indian Law Service/ Indian Company Law Service/	(i) one Member riominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-	Not applicable

1	2	3	. 4	5	6	7	8	9 .	10	11	12	13	14
							(Professional) or equivalent from a recognised university; and Experience: six years experience in the relevant field, including in corporate Sector	•			analogous post or grade or six years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent Desirable: Experience in Competition Law.	opted by the committee Member	
							Desirable: Experience in Competition Law						 - -
11. Deputy Director (Financial Analysis)	10*(2009) *Subject to variation dependent on work toad	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600	Not Applicable	Not Applicable	Thirty three years	Essential: Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration with Accounting and Finance or equivalent Or Qualified Chartered Accountant/ Company Secretary/Cost and Works Accountant / Financial Analyst or equivalent And with three years experience in the relevant field including in corporate sector.	Not applicable	One year	Seventy five per cent. by direct recruitment falling which by deputation / transfer / short term contract Twenty five per cent by deputation failing which by direct recruitment.	Essential: Officers from the All India Services / Central Civil Services 'Group 'A'/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in	opted by the committee	Not applicable

forest related	中国1995年中央	And a second with the second	democratica successive and the s	A	5	6	7	r	. 0	10	11	12	13	
**************************************		1 2	1 :	4	3	. 0	′ ′		. 9	. 10	11	12	1.3	,
M		1	1		}			i						
334965105-57	12. Deputy Director (Economics)	18* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 15600- 39100 + Grade Pay Rs. 7600	Selection	Not Applicable	Thirty three years	Essential: Master's Degree in Economics/ Statistics or equivalent and with three years experience in the relevant field, including in corporate sector.	Not applicable	One year	Seventy five per cent. by direct recruitment failing which by deputation / transfer / short term contract Twenty five per cent. by deputation failing which by direct recruitment.	By Deputation: Essential: Officers from the All India Services / Central Civil Services Group 'A'/ Indian Economics Service/ Indian Statistical Service/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in Economics/Statistics and working in analogous post	(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of	Not Applicable
										*		/ grade or five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent Desirable: Experience in Competition Law.	I commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be coopled by the committee - Member	
	13. Deputy Director (Law)	` '.1	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not Applicable	Thirty three years	Essential: Bachelor of Law (Professional) or equivalent. And with three years experience in the relevant field, including in corporate sector.	Not applicable	One year in case of direct recruitment	Seventy five per cent by Direct recruitment failing which by deputation / transfer / short term contract Twenty five per cent by deputation failing which by direct recruitment.	(I) By Deputation: Essential: Officers from the All India Services / Central Civil Services Group 'A' Indian Law Service/ Indian Company Law Service / Autonomous Organisations / Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research/ Judicial Institutions etc. having Bachelor's Degree in Law from a recognised university and working in analogous post / grade or flue years sentice in the	Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member	Not applicable

[भाग II—खण्ड 3(i)]

						-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,		
1	2	3	4) 5	6	/	3	9	10	. 11	. 12	13	14
				į	}			i					
			<u> </u>								` :		
				1							Grade pay of Rs 6600 or	expert if	
	}								•		equivalent.	considered	
											Desirable:	necessary,	
	}		ļ			}			:			may be co-	
]	Ì	}			ļ			Law	opted by the	
	ł				} ·	1		}			Law	committee -	
				†	1			}					
٠.					-			} {				Member	
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		N. I	D. 27400	Colontino	Mai	Faste there	Face Heli	Not on Books	O V	De Desertie	(I) D . D ()		
14. Joint	11. 15555	Not	Rs.37400-	Selection	Not	Forty three		Not applicable	One Year	By Promotion	(I) By Promotion:	(i) one	Not
Director	1* (2009)	applicable	67000		applicable	years	Master's Degree	Ì		failing which by	Deputy Director (Finance	Member	applicable
Finance	*Subject to		+				or equivalent in	-		deputation /	and Accounts) with at	nominated by	
and	variation		Grade Pay				Commerce /			transfer / short	least five years service in	Chairperson,	
Accounts)	dependent		Rs.8700		-		Master's Degree	-		term contract /	the Commission.	Competition	
·	on work						in Business			direct recruitment.		Commission of	
	load				1.		Administration/	1 :			(II) By Deputation:	India -	
	[1		1		Chartered	f '			Essential:	Chairman	
, '	[Accountant	1			Officers of All India	(ii) Director	
			. 1				Company				Services/ Central Civil	General of the	
	ļ						Secretary/ Cost			1	Services Group 'A' / Indian	Commission -	
							Accountant or	}	1		Audit and Accounts	Member	
	İ						equivalent and				Service / Indian Civil	(iii) Secretary,	
	1						Experience:				Account Service /Indian	Competition	
		1					Six years		1		Posts and Telegraphs	Compension of	1
	1						experience in the			1	Accounts Service/ Indian	India - Member	
	}						relevant field		1		Defence Accounts Service		
							Desirable:	-					
	1		}	1						1	/ Indian Railway Accounts		
		,		1.			Experience of				Service working in	considered	1
			-				working in Public		1		analogous post / grade or	necessary,	
							Financel				five years experience in		
		1					Expenditure	1.	}	1	the grade pay of Rs.7600	opted by the	
							Control / Audit				or ten years in the grade		1
				1							pay of Rs.6600 or	Member	j
								}			equivalent With minimum		}
				1							total experience of seven		
											years in Public Finance/	*	1
						1					Public Budgeting /	İ	}
	1				1						Expenditure Control.	1	
						1					Desirable:		
						1		}			Master's Degree in		
		}									Commerce / Master's		
								1			Degree in Rusiness	,	
								-			Degree in Business Administration (Finance) /	1	
								1	1		Administration (Finance) /	1	

1	2 : #:	3, 3, 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	in and American Conference	and the control of									Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant.		
,	1 ¹ (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400- 67000 + Grade Pay Rs.8700	Selection	Not applicable	Forty three years	Essential: Master's Degree in Technology /Badţielor's Degree in Technology or Bachelor's Degree in Englineering or equivalent from a recognised university; or Master's Degree in Science (Englineering) / Computer Science / information Technology with experience of six years in the relevant field.	Not applicable	One year	By Promotion falling which by deputation or transfer or short term contract or direct recruitment.	(Information Technology) with at least five years	(i) one Member norninated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Not applicable
6. Deputy Director Corporate Services)	5*(2009) *Subject to variation dependent on work	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised	Not applicable	One year	By Promotion failing which by deputation / transfer / short term contract	(I) By Promotion Assistant Director (Corporate Services) Information Technology and Finance and Accounts with at least five years	(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of	Not applicable
	load ,						university; and (ii) Diploma or Certificate course		,		service in the Commission. (II) By Deputation	India - Chairman (ii) Director	

1	2	3	4	5	.6	7	8	9	10	11 .	12	13	14
							in Personnel Management / Secretarial Practices or equivalent; and Experience: Five years experience at Assistant Director Level Desirable: Master's Degree or equivalent with one year Diploma in Human Resource Management/ Secretarial Practices or equivalent				Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. Eligibility: Officers working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.6600 or equivalent in the relevant field (Establishment / Personnel Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference.	General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee	
17. Deputy Director (Finance and Accounts)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not applicable	Thirty three years	Essential: Master's Degree or equivalent in Commerce or Master's Degree in Business Administration or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Accountant or equivalent and Experience: Three years experience in the field Desirable: Experience of working in Public Finance or	Not applicable	One year	By Promotion failing which by deputation or transfer or short term contract	(i) By Promotion Assistant Director (Finance and Accounts) with at least five years service in the grade. (II) By Deputation Officers of All India Services / Central Civil Services Group 'A' / Indian Audit and Accounts Service / Indian Civil Account Service / Indian Posts and Telegraphs Accounts Service / Indian Defence Accounts Service/ Indian Railway Accounts Service working in analogous post / grade or five years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary,	Not applicable

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SI

1(**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1		and the second			Expenditure Control or Audit.		· .		Higher qualification and experience will be given preference.	may be co- opted by the committee – Member	
18. Deputy Director Information Fechnology)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not applicable	Thirty three years	Essential: B.Tech or Bachelor's Degree of Engineering or equivalent from a recognised university; or Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Engineering) / Computer Science / Information Technology with experience of Three years in the relevant field.	Not applicable	One year	By Promotion failing which by Deputation / transfer / short term contract	(I) By Promotion Assistant Director (Information Technology) with at least five years service in the grade. (II) By Deputation: Essential: An Information Technology professional working in National Informatics Centre or any other Government Organization with Bachelor's Degree of Computer Applications / Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Company Secretary) / Bachelor's Degree in Technology or equivalent tec. with five years experience in the grade pay of Rs.6600 or equivalent	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee - Member	Not applicable
19. Assistant Director (Finance /Accounts)	*2(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (f) Bachelor's Degree in Commerce or equivalent and Experience: (fi) Three years experience in the relevant field. Desirable: Higher gualification and	Not applicable	One year	By Promotion failing which by deputation / transfer / short term contract	(I) By Promotion Office Manager (Finance and Accounts) with at least five years service. (II) By Deputation; Cardidates having Bachelor's degree in any discipline, working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400	General,	Not applicable

•

i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 ·	14)))
							experience will be preferred.				or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or ten years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent. in the relevant field (Budget Finance and Accounts).	Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be coopted by the committee — Member	THE GAZ
20. Assistant Director (Information Technology)	3*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade pay Rs.6600	Not applicable	Not applicable	Thirty three years	Essential (I) Bachelor's Degree in Technology /Bachelor's Degree in Engineering or equivalent or (II) Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Information Technology/ Computer Science / Engineering) Experience: Three years experience in the relevant field.	Not applicable	One year	By direct recruitment or deputation Or Transfer or short term contract	By Deputation; Information: Technology Professional working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400 or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or 10 years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent. possessing the qualification of Master's Degree in Computer Application / Bachelor's Degree in Technology /Master's Degree in Science (Information Technology /Company Secretary) or equivalent	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Not applicable

)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 🔨	14
					1.			i					
21. Assistant Director (Library Services)	2*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's degree in Library Science with five years experience		Not applicable	failing which by deputation or transfer or short term contract or direct recruitment	(i) By Promotion Office Manager (Library Services) with at least five years service (II) By Deputation; Candidates having Bachelor's degree in Library Science with working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400 or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or ten years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent.	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee Member	
22. Assistant Director (Corporate Service)	14*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (I) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university; and (ii) Diplomal Certificate course In Human Resourse management / Secretarial Practices or Cash and Accounts Course of Institute of		One year	By Promotion failing which by deputation / transfer / short term contract	Office Manager (Corporate Services) with	Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of	Not applicable

नार्या की संबंधित । असम्बार्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23. Office Manager (Finance and Accounts)		ot pplicable	Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable	Twenty eight years	Secretariat Training and Management or equivalent; and Experience: Five years experience at Office Manager Level. Desirable: Master's Degree or equivalent with one year Diploma in Human Resource Management/Sec retariat Practices or equivalent Essential: (i) Bachelor's Degree in Commerce or equivalent with three year experience or (ii) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university with one year diploma in Accounting / Finance; / Cash and Accounts Course of Institute of Secretariat Training and Management or	Not applicable	One year	By direct recruitment failing which by deputation or transfer or short term contract	pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or ten years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent. In the relevant field (Establishment /Personal Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference. By Deputation; Essential: Officers having Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university, and working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4800 or equivalent in the relevant field (Budget Finance and Accounts). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference	(iv) Outside expert if considered necessary, may be coopted by the committee Member ominated by Chairperson, Competition Commission of India - Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iii) Outside expert if considered necessary, may be co-	Not applicable

1	2	. 3	4	5	6	7	. 8	9	10	11	12	13	14
					2 1	in the second second	With three years experience in the relevant field.					committee Member	
24. Office Manager Corporate Service)	20*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.9300-34800 + Grade pay Rs.5400	Selection	Not applicable	Twenty eight years	Essential: (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university; and (ii) Diploma/ Certificate course in Human Resource Management / Secretarial Practices, or equivalent; and With three year's experience in the relevant field. Desirable: Master's Degree or equivalent with one year Diploma in Human Resource Management/Sec retarial Practices or equivalent.	Not applicable	One year	Seventy five per cent. by direct recruitment, failing which by deputation. Twenty five per cent. by deputation / transfer / short term contract, failing which by direct recruitment.	By Deputation; Essential: (i)Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. (ii) Officers working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent in the relevant field (Establishment/ Personal Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Not applicable
25. Office Manager (Library Services)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.5400	Selection	Not applicable	Twenty eight years	Essential: (i) Bachelor's degree in Library Science or equivalent Experience: three years post qualification experience in	Not applicable	One year	By direct recruitment failing which by deputation / transfer / short term contract	By Deputation; Officers having Bachelor's degree in Library Science and working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman	Not applicable

;

1	2	3	4	5	6	.7	8	9	10	11	12	13	14
		,		المتحقق في المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق الم	·		the field of library and information services				the grade pay of Rs.4200 or equivalent in the relevant field Desirable: Higher qualification and experience will be given preference	Competition Commission of India - Member (iii) Secretary.	

[F. No. 5/27/2007-IGC/CS]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.